विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-06/2022

श्री गंगाशरण महाराज, — आवेदक/अपीलार्थी
श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर,
श्री छोटा अखाड़ा,
मैहर – जिला – सतना (म.प्र.)

विरूद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म0प्र0)

— अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मैहर (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 12.05.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री गंगाशरण महाराज, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री छोटा अखाड़ा, मैहर – जिला – सतना (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 20.03.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 13/2021 दिनांक 08.11.2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 31.03.2022 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–06/2022 पर दर्ज की गई है ।

02. आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं :–

(i) विद्युत फोरम द्वारा मनमाने आधारहीन तथ्यों पर पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 को अपास्त किया जाए ।

(ii) विद्युत संयोजन क्रमांक N 1306001294 को कनेक्शन तिथि से श्रेणी (LV-I) घरेलू में परिवर्तित किया जायें ।

(iii) कनेक्शन तिथि से आपके निर्णय दिनांक गैर घरेलू दरों से समस्त वसूल की गई राशियां का समायोजन अपीलार्थी के अगले देयकों में किए जाने का आदेश पारित करें ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–06/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 20.04.2022 को नियत की गई ।

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस.के. यादव, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री पंकज शुक्ला, कार्यपालन यंत्री (ओ एण्ड एम) मैंहर उपस्थित ।

आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित कुछ अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति अनावेदक को दी गई ।

सुनवाई के दौरान प्रकरण पर उभयपक्षों द्वारा मौखिक बहस की गई । अनावेदक द्वारा प्रकरण में लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई ।

अनावेदक की मांग को स्वीकार करते हुए प्रकरण में सुनवाई का एक अन्तिम अवसर दिया गया और प्रकरण अन्तिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.05.2022 नियत की गई ।

अन्तिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.05.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस.के. यादव, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री पंकज शुक्ला, कार्यपालन यंत्री (ओ एण्ड एम) मैंहर उपस्थित ।

अनावेदक ने आवेदक के अभ्यावेदन पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई एवं उस पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

अनावेदक का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

1. यह कि वादी/अपीलार्थी को कंपनी द्वारा विभागीय नियमानुसार सी0एल0 कनेक्शन दिनांक 31.07.2019 को प्रदाय किया गया था जिसे प्राप्त करने हेतु वादी द्वारा नियमानुसार नवीन कनेक्शन हेतु दिनांक 12.05.2019 को राशि जमा की गयी थी, जिसके अनुसार वादी को सी0एल0 कनेक्शन क्रमांक 1306001294 प्रदाय किया गया था। तदोपरांत वादी द्वारा

नियमित रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता रहा तथा कंपनी द्वारा प्रदाय की गयी व्यावसायिक विद्युत ऊर्जा का देयक प्रतिमाह लगातार वादी को प्रदाय किया जाता था एवं वादी द्वारा कनेक्शन दिनांक से जारी विद्युत देयकों का बिना किसी आपत्ति के लगातार भुगतान किया जाता रहा है । अतः कभी भी विद्युत देयकों के संबंध में आपत्ति/विवाद जैसी आपत्ति वादी द्वारा नही की गयी है ।

2. यह है कि दिनांक 11.02.21 को कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) सतना द्वारा सतर्कता दल सहित वादी के परिसर में आकस्मिक जांच की गयी जिसमें व्यावसायिक उपयोग करते हुए प्रतिष्ठान में विद्युत चोरी पकड़ी गयी थी जिसमें कार्यपालन अभियंता (सर्तकता) सतना ने निर्धारण आदेश 6174/14 दिनांक 12.02.21 का निर्धारण जारी किया गया तथा चोरी की आरोपित/निर्धारण राशि जमा नहीं होने पर वादी के विरूद्ध माननीय विशेष विद्युत न्यायालय मैहर में प्रकरण क्रमांक 39/21 के माध्यम से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी द्वारा संपूर्ण आरोपित/समन राशि 610886/– उभय पक्षों के सहमति के आधार पर राजीनामा करते हुए लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 के माध्यम से समाप्त करा लिया गया है। इस कारण वादी की अभ्यावेदन के अनुसार की गयी शिकायत औचित्यहीन है । जो विचार योग्य नही है।

3. यह कि उक्त विद्युत चोरी का प्रकरण बनने के उपरांत वादी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दिनांक 09.04.21 को फोरम जबलपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वादी के सर्विस क्रमांक 1306001294 जो कि संकटमोचन हनुमान जी छोटा अखाड़ा मैहर आश्रम हेतु लिया गया था, को घरेलू प्रकाश में करने बावत आवेदन पेश किया गया। साथ ही इस आशय का भी उल्लेख किया गया कि इसी माह पता चला कि उक्त सर्विस कनेक्शन 1306001294 वाणिज्यिक प्रयोग हेतु किया गया है उक्त तथ्यों से माननीय न्यायालय को यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी का जारी कनेक्शन सी0एल0 श्रेणी का था इस तथ्य की जानकारी वादी को भली भांति थी । क्योंकि वादी द्वारा निरंतर बिना किसी आपत्ति के विद्युत देयकों का भुगतान करता रहा ।

4. वादी द्वारा माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का विद्युत कंपनी द्वारा समुचित विधि सम्मत् जबाव दिया गया एवं समर्थित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। माननीय फोरम

द्वारा उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन/जबावदावा एवं दस्तावेज तथा तर्कों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए विधि अनुसार निर्णय दिनांक 08.11.21 को पारित करते हुए वादी की आपत्ति को निरस्त कर दिया। माननीय फोरम जबलपुर के उक्त आदेश न्यायोचित/विधिसंगत है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत माननीय फोरम के समक्ष आवेदन पत्र के अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादी के उक्त कनेक्शन को वर्तमान की स्थित को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर सर्विस क्रमांक 1306001294 को सी0एल0 से डी0एल0 में परिवर्तन दिनांक 13.04.2022 को कर दिया गया है । अतः फोरम जबलपुर के निर्णय दिनांक 08.11.2021 का भी पालन करा दिया गया है ।

5. यह कि वादी उक्त कनेक्शन पर नियमित जारी किये जाने वाले समस्त देयकों पर वादी द्वारा पूर्व में कभी भी कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी इस कारण वादी द्वारा उपयोग की गयी विद्युत ऊर्जा का देयक समायोजित/वापस किया जाना न्यायोचित उचित नहीं है, प्रतिवादी नियमानुसार उपयोग की गयी विद्युत का देयक प्राप्त करने का अधिकारी है ।

6. यह कि वादी द्वारा उक्त अभ्यावेदन के अनुसार सी0एम0ओ0 मैहर के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.12.2021 के आधार पर गैर घरेलू श्रेणी में परिवर्तित करने का आवेदन दिया गया है। जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि वादी उक्त अभ्यावेदन के समर्थन में प्रस्तुत समस्त उक्त दस्तावेज कार्यपालन अभियंता (सर्तकता) सतना के जांच दिनांक 11.02.2021 के बाद जारी किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा जांच दिनांक 11.02.2021 को सी0एल0 कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा था । जिसे दिनांक 13.04.22 को फोरम के निर्णयानुसार सर्विस क्रमांक 1306001294 को सी0एल0 से डी0एल0 श्रेणी में परिवर्तन कर दिया गया है अतः प्रकरण समाप्ति योग्य है ।

7. यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन गैर घरेलू से घरेलू श्रेणी में परिवर्तन का प्राप्त करने हेतु विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब के जिन कारणों का उल्लेख किया गया है वे कदापि स्वीकार योग्य नहीं है साथ ही विलम्ब के समर्थन में वादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण वादी का उक्त प्रकरण कालबाधित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

चूंकि वादी द्वारा उक्त सर्विस कनेक्शन को सी0एल0 से डी0एल0 श्रेणी हेतु आवेदन दिया गया था जिस पर कार्यवाही करते हुए सी0एल0 से डी0एल0 श्रेणी के उक्त सर्विस क्रमांक 1306001294 को डी0एल0 श्रेणी में कर परिवर्तन दिया गया है ।

अतएव माननीय के समक्ष जबाव प्रस्तुत कर विनय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाये ।

आवेदक ने भी एक अतिरिक्त लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति अनावेदक कम्पनी के प्रतिनिधि को दी गई, जो निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 20.04.2022 को प्रस्तुत पत्र में लेख तथ्यों का अवलोकन करने की कृपा करें। सुनवाई दिनांक 20.04.2022 को आपके द्वारा अनावेदक को जवाब दावा दिनांक 05.05.2022 को प्रस्तुत एवं प्रस्तुतीकरण पूर्व एक प्रति आवेदक को प्रदान करने के निर्देश दिये थे ? किन्तु आपके निर्देशों की अवहेलना करते हुये अनावेदक को आज दिनांक 04.05.2022 तक अनावेदक द्वारा जवाबदावें की कोई प्रति आवेदक प्रतिनिधि को प्रदान नहीं की है ? जो कि आपके निर्देशों की अवहेलना है ।

दिनांक 20.04.2022 को अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान वाद तथ्यों को छोड़कर दिनांक 11.02.2021 को, आवेदक के विरूद्ध बनाये गये 135 के प्रकरण एवं गैर घरेलू संयोजन को घरेलू में परिवर्तित करने को सुनवाई के दौरान लाकर माननीय लोकपाल एवं आवेदक प्रतिनिधि का समय अनावश्यक रूप से खराब किया गया है, जो कि अभ्यावेदन का विषय नहीं था ? यह कृत्य न्यायहित में उचित नहीं है ।

अतः पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वाद का कारण वर्ष 2019 में नया कनेक्शन गलत श्रेणी में जारी करने में की गई लापरवाही एवं नियमों की अवहेलना से संबंधित है। अतः कालान्तर में आवेदक या उसके संयोजन में क्या हुआ ? उसका इस अभ्यावेदन/प्रकरण से कोई संबंध नहीं है न ही अभ्यावेदन में इसका कहीं पर भी उल्लेख है। इस अभ्यावेदन (वाद) का 135 के प्रकरण, लोक अदालत में जमा की गई सर्तकता राशि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, जिस पर सुनवाई के दौरान निरर्थक चर्चा न की जायें । चूंकि अनावेदकों को इस तथ्य की जानकारी हो गई थी कि आवेदक ने माननीय लोकपाल के समक्ष फोरम के

आदेश के विरूद्ध अपनी अपील प्रस्तुत कर दी है एवं आवेदक की गौशाला है एवं बिजली के अभाव में गौशाला में रखे पशुओं को नुकसान पहुंचेगा एवं इसी कमजोरी का लाभ लेने की योजना से आवेदक पर लाईन काटने का दवाब बनाकर माननीय लोक अदालत में समझौता करने को बाध्य किया, जो कि अनुचित है, चूंकि धारा 135 का प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय में विचाराधीन था एवं आरोप प्रमाणित नहीं हुये थे, एवं निकाली गई सतर्कता राशि का 50 प्रतिशत राशि आपत्ति सहित जमा की जा चुकी थी । अतः आवेदक पर दवाब बनाना अनुचित था । अनावेदकों द्वारा आवेदक के विरूद्ध साजिश के तहत् विधि सलाहकारों से सलाह मशवरा उपरांत उक्त अवैधानिक कार्यवाही सम्पन्न कराई गई ।

अतः उक्त कार्यवाही को इस वाद से संबंधित न माना जायें ।

वाद का विषय आवेदक के अभ्यावेदन के पृष्ठ क्रमांक 22 से 33 में लेख है, अतः न्याय सिद्धांतों के तहत् कुल बिन्दुओं से हटकर सुनवाई करना किसी प्रकार से न्यायहित में उचित नहीं है । वाद के मुख्य विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख निम्नानुसार हैः–

1– क्या अनावेदकों द्वारा वर्ष 2019 में आवेदक को नया कनेक्शन क्रं. N1306001294 जारी करने के दौरान शासन/विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया? (विद्युत अधिनियम 2003 म.प्र.वि.प्र.सं. 2013 एवं कंपनी परिपत्र क्रं. 261, दिनांक 27.02.2017).

2– माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम जबलपुर ने जो आदेश प्रकरण क्रं. 13/2021 में आदेश दिनांक 08.11.2021 पारित किया है, उसके तहत् माननीय विद्युत फोरम जबलपुर ने न्याय सिद्धांतों का पालन किया जिस आवेदन दिनांक 27.02.2019 को आधार बनाया गया है, यह अनावेदकों ने फोरम में प्रस्तुत किया था ?

3– ऐसा कोई दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें गैर घरेलू संयोजन की मांग की गई हो ?

4– नगर पालिका परिसर मैहर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रं. 1706 दिनांक 12.11.2021 में लेख तथ्य असत्य है ?

कृपया अभ्यावेदन के इन बिन्दुओं पर ही गंभीरता से सुनवाई करने की कृपा करें ।

आवेदक ने अपने मौखिक कथन में निम्न बिन्दु उठाएं :–

01. अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष भी नवीन कनेक्शन के आवेदन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

02. अनावेदक ने कनेक्शन देने हेतु जिस एन.ओ.सी. की चर्चा की है वह अन्य किसी नाम से है ।

03. आवेदक द्वारा नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन दिनांक 24.04.2019 को किया गया जिसका R-I क्रमांक – 41 है, जबकि फोरम ने अपने आदेश में आवेदन की दिनांक 27.02.2019 दर्शाई हैं ।

04. आवेदक ने उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म की प्रति अवलोकन हेतु दी गई जिसमें आवेदन की तिथि दिनांक 24.04.2019 एवं R-I क्रमांक – 41 होना पाए जाने के साथ साथ आवेदन गैर घरेलू श्रेणी हेतु 5 किलोवॉट का कनेक्शन की मांग किया जाना पाया गया ।

05. अनावेदक ने नियमों का पालन नहीं करते हुए मनमाना कनेक्शन दे दिया ।

06. फोरम ने बिना आधार के आदेश किया है, अतः आदेश अपास्त करने योग्य है ।

07. सभी कनेक्शन नियमों के आधार पर दिया जाना चाहिए ।

08. आवेदक प्रतिनिधि से और कोई दस्तावेज अथवा तथ्य प्रस्तुत करने हेतु पूछा गया किन्तु उन्होंने और कोई तथ्य प्रस्तुत करने से पुनः मना किया ।

अनावेदक की ओर से सुनवाई के दौरान उक्त प्रकरण पर निम्नानुसार मौखिक कथन किएः–

(i) फोरम के आदेश में प्रदर्शित आवेदन की दिनांक 27.02.2019 सही नहीं है, संभवतः वह टंकण त्रुटि है ।

(ii) दिनांक 24.04.2019 को आवेदन देने पर दिनांक 12.05.2019 को भुगतान किया गया एवं दिनांक 20.05.2019 को कनेक्शन प्रदाय किया गया । उक्त कनेक्शन की बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टि दिनांक 31.07.2019 को की गई ।

(iii) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की प्रति आवेदक को विभाग द्वारा ही उपलब्ध करवायी है ।

(iv) अनावेदक से ऑन लाईन आवेदन की प्रति दिए जाने हेतु कहा गया परन्तु उन्होंने असमर्थता दिखाई कि सिस्टम से प्रति निकाल नहीं पा रहे हैं ।

(v) उक्त कनेक्शन श्री गंगाशरण महाराज, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री छोटा अखाड़ा, मैहर को दिया गया । कनेक्शन गैर घरेलू श्रेणी का ही था एवं सही दिया गया था । इस बात की पुष्टि विजिलेंस टीम द्वारा जांच करने पर विद्युत चोरी पाई गई एवं कनेक्शन का उपयोग गैर घरेलू श्रेणी में होना पाया गया ।

विजिलेंस द्वारा बनाए गए प्रकरण में आवेदक ने माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को स्वीकार किया एवं निकाली गई राशि के साथ ही साथ समझौता राशि भी जमा की । इससे स्पष्ट है कि कनेक्शन का उपयोग गैर घरेलू श्रेणी में ही था । विद्युत चोरी से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रति पत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

(vi) पूर्व में उक्त अखाड़े की गद्दी पर श्री गंगाशरण महाराज के पिता श्री जानकी वल्लभ शरण महाराज आसीन थे जिनके नाम से उपयोग का पत्र जारी किया गया है ।

(vii) आवेदन फार्म की प्रति आवेदक को विभाग द्वारा ही उपलब्ध करवायी है ।

(viii) दिनांक 11.12.2021 को चीफ म्युनिसिपल ऑफिस (सी.एम.ओ.) नगर पालिका, मैहर द्वारा घरेलु उपयोग का प्रमाणपत्र दिए जाने जिसमें गौशाला एवं धर्मशाला हेतु उपयोग दर्शित करने एवं होटल का संचालन नहीं होना पाकर संतुष्ट होने के उपरांत विद्युत कनेक्शन में कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं पाए जाने पर श्रेणी गैर घरेलू से घरेलू में दिनांक 13.04.2022 को परिवर्तित कर दी गई थी ।

(ix) कम्पनी द्वारा पूरे प्रयास किए जाते हैं कि समस्त आवेदकों को सरलता से नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जावें ।

(x) उक्त कनेक्शन नियमानुसार दिया गया है ।

(xi) उक्त प्रकरण में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

(i) प्रकरण आवेदक श्री गंगाशरण महाराज, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री छोटा अखाड़ा, मैहर – जिला – सतना (म.प्र.) का है । इसके पूर्व उक्त अखाड़े के धारक श्री गंगाशरण महाराज के पिताजी श्री जानकी वल्लभ शरण जी महाराज थे ।

(ii) कनेक्शन प्राप्त करते समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अनापत्ति (दिनांक 30.09.20216) आवेदक के पिता श्री जानकी वल्लभ शरणजी महाराज के नाम से है, जिसमें दुकानों की भी अनुमति है ।

(iii) आवेदक ने गैर घरेलू श्रेणी ((CL-5KW)/other than LT Domestic Connection) हेतु कनेक्शन की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था जो R-I क्रमांक – 41 दिनांक 24.04.2019 पर पंजीकृत हुआ ।

(iv) आवेदक द्वारा आवश्यक राशि अनावेदक के कार्यालय में दिनांक 12.05.2019 को जमा करने पर, दिनांक 20.05.2019 को 5 कि.वा. का गैर घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया गया । किन्हीं कारणों से बिलिंग सिस्टम में कनेक्शन प्रदाय करने की दिनांक 31.07.2019 अंकित है ।

(v) कनेक्शन होने के उपरांत आवेदक ने कभी भी गैर घरेलू श्रेणी का कनेक्शन होने एवं प्रतिमाह बिल उसी दर से आने पर आपत्ति नहीं उठाई ।

(vi) दिनांक 11.02.2021 को कार्यपालन अभियंता (प्रवर्तन) सतर्कता द्वारा जांच करने पर विद्युत चोरी पाई गई एवं उपयोग गैर घरेलू होना पाया गया जिस पर निर्धारण आदेश दिनांक 12.02. 2021 राशि रू. 5,60,886/– का जारी किया गया ।

(vii) आवेदक ने उक्त चोरी के प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 7512/2021 दायर की थी जिसमें भी उसने कनेक्शन के प्रयोजन (गैर घरेलू) के संबंध में कोई अपील नहीं की थी । केवल विद्युत चोरी के बिल की राशि के संबंध में पिटीशन दायर की थी । उक्त पिटीशन पर माननीय न्यायालय की आवेदक के बिलिंग संबंधी प्रतिवेदन पर निर्णय देने हेतु निर्देशित किया था ।

(viii) आवेदक ने माननीय विशेष न्यायालय मैहर के प्रकरण क्रमांक 39/21 धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के परिवाद में माननीय न्यायालय के समक्ष निकाली गई राशि तथा समन हेतु आवश्यक राशि जमा करते हुए, गैर घरेलू कनेक्शन/श्रेणी में विद्युत चोरी को मानते हुए दिनांक 12.03.2021 को राजीनामा कर प्रकरण समाप्त करा लिया था ।

(ix) उपरोक्त प्रकरण समाप्त होने के उपरान्त आवेदक ने दिनांक 09.04.2021 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक ने मांग की है कि कनेक्शन दिनांक से कनेक्शन की बिलिंग घरेलू श्रेणी में की जावें एवं जो अधिक राशि ली गई है उसे समायोजित किया जावे ।

(x) विद्वान फोरम ने प्रकरण में कनेक्शन गैर घरेलू श्रेणी में दिया जाना पाया गया, अतः किसी भी प्रकार की राहत नहीं प्रदान की गई ।

(xi) फोरम द्वारा पारित आदेश के निष्कर्ष में ऑन लाईन आवेदन की दिनांक 27.02.2019 दर्शाया है जबकि वास्तविक आवेदन की दिनांक 24.04.2019 है ।

(xii) प्रकरण में आवेदक को संतुष्टि तक सुनने पर कोई नए तथ्य प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया ।

(xiii) अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किए गए तथ्यों में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि विद्युत कनेक्शन मांग की गई श्रेणी एवं भार हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रदाय किया गया, जिसकी पुष्टि कार्यपालन अभियंता प्रवर्तन की जांच द्वारा की गई जांच में पाई गई विद्युत चोरी, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पिटीशन एवं माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष तथ्यों को स्वीकार कर राजीनामा करने से होता है ।

(xiv) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है ।

(xv) आवेदक प्रतिनिधि द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत करना कि अनावेदक द्वारा लाईन काटने का दवाब बनाकर माननीय लोक अदालत में समझौता करने को बाध्य किया यह तथ्य एवं कथन असत्य एवं माननीय न्यायालय की अवमानना पूर्वक प्रतीत होता है । क्योंकि धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत समझौता माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों के राजी होने पर ही किया जाता है, अतः ऐसा दोषारोपण माननीय विशेष न्यायालय के प्रति दुर्भावना प्रदर्शित करता है ।

आवेदक प्रतिनिधि ने अपने पत्र में यह लिखा है कि विद्युत चोरी के प्रकरण की कार्यवाही को इस बात से संबंधित न माना जावे जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि विद्युत चोरी का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष संस्थापित हो चुका है एवं आवेदक द्वारा पूर्ण राशि जमा कर सहमत होने पर ही राजीनामा हुआ है । यदि आवेदक सहमत नहीं था तो न्यायालय में प्रकरण चलाकर फैसला प्राप्त कर सकता था ।

05. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

क) आवेदक ने 5 किलो वाट के गैर घरेलू कनेक्शन हेतु ही आवेदन किया था, अतः कम्पनी द्वारा नियमानुसार सही कनेक्शन प्रदाय किया गया ।

ख) गैर घरेलू कनेक्शन का प्रयोजन होने की पुष्टि प्रवर्तन टीम द्वारा जांच करना जो कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पिटीशन में इस तथ्य की प्रस्तुत न करने एवं माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पूर्ण राशि जमा कर समझौता करने से पुष्टि होती है ।

ग) विद्युत चोरी का प्रकरण समाप्त होने के उपरान्त फोरम के समक्ष कनेक्शन को गैर घरेलू से घरेलू कनेक्शन दिनांक से करने का निवेदन करना अनुचित लाभ लेने हेतु उत्तर चिंतन की श्रेणी में आता है ।

घ) अनावेदक ने समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एवं परिसर का उपयोग घरेलू पाया जाने पर दिनांक 13.04.2022 को घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है ।

ङ) अनावेदक द्वारा अपने अतिरिक्त कथन दिनांक 04.05.2022 को यह कथन करने कि लाईन काटने का दवाब बनाकर माननीय लोक अदालत में समझौता करने को बाध्य किया एवं समझौता की कार्यवाही को अवैधानिक कार्यवाही लिखना माननीय न्यायालय के प्रति अवमानना की श्रेणी में आता है जो कि उचित नहीं है ।

च) आवेदक के प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार यादव द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए पत्रों में भी अशोभनीय भाषा का उपयोग किया है जो कि ग्राह्य करने योग्य नहीं है एवं उनके द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष हुए समझौतों को भी अवैधानिक बताना अनुचित एवं अग्राह्य है।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

ii) फोरम के आदेश में दर्शित आवेदन की दिनांक 21.02.2019 जो कि टंकण त्रुटि के कारण है को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर दिनांक 24.04.2019 किया जाता है ।

iii) कनेक्शन दिनांक से उपयोग गैर घरेलू संस्थापित हुआ है, अतः आवेदक कनेक्शन दिनांक से बिलों में श्रेणी परिवर्तन के आधार पर राहत का अधिकारी नहीं है ।

iv) आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस.के. यादव, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में शालीन भाषा का प्रयोग करें एवं विवादित कथन देने से बचे ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल